रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2015/आषाढ़ 16, 1937
No. 237] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2015/ASADHA 16, 1937

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2015

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं.डीडी/160/09/बीओडी/59/10 और डीडी/13/सी/आईएनएफ/08/बीओडी/78/11.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, **श्री राधे श्याम जयसवाल (सदस्यता सं. 070495), चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, सीपी-12, सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ-226020** को संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 [चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा-संशोधित] की पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत आने वाले 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, पूर्वोक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (1) के साथ पठित धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन बोर्ड ने उक्त श्री राधे श्याम जयसवाल को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया था। तदनुसार, अनुशासन बोर्ड ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 21क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश किया कि पूर्वोक्त श्री राधे श्याम जयसवाल का नाम तीन (3) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए और साथ ही उन पर 10,000 रुपए (केवल दस हजार) का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसका संदाय नहीं किया गया है। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **श्री राधे श्याम जयसवाल (सदस्यता सं. 070495) का नाम तारीख 07.07.2015 से तीन (3) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।**

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./104/15 (124)]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2015

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. DD/160/09/BOD/59/10 & DD/13/C/INF/08/BOD/78/11.—In terms of the provisions of Section 21A(3) read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, **Shri Radhey Shyam Jaiswal (Membership No. 070495) Chartered Accountant, CP – 12, Sector – C, Aliganj, Lucknow 226 020** has been found guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 [as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006] by the Board of Discipline of the Institute . Thereafter, in terms of provisions of Section 21A(3) read with sub-rule (1) of Rule 15 of the aforesaid Rules, the Board of Discipline, afforded an opportunity of hearing in person to the said Shri Radhey Shyam Jaiswal. Accordingly, the Board of Discipline has in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 21A of the aforesaid Act ordered that the name of aforesaid Shri Radhey Shyam Jaiswal, be removed from the Register of Members for a period of three (3) months and also imposed a fine of Rs. 10,000/- (ten thousand only) upon him which does not stand paid. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **Shri Radhey Shyam Jaiswal (Membership No. 070495) shall stand removed from the Register of Members for a period of three (3) months with effect from 07.07.2015.**

V. SAGAR, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./104/15(124)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2015

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं.डीडी/10/एन/आईएनएफ/09/बीओडी/64/11.— चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, श्री संजय मलिक (सदस्यता सं. 086078), चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, बी-3/4, मियांवाली गली, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 को संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 [चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा-संशोधित] की पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत आने वाले 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया गया है । तत्पश्चात्, पूर्वोक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (1) के साथ पठित धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन बोर्ड ने उक्त श्री संजय मलिक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया था । तदनुसार, अनुशासन बोर्ड ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 21क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश किया कि पूर्वोक्त श्री संजय मलिक का नाम एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री संजय मलिक (सदस्यता सं. 086078) का नाम तारीख 07.07.2015 से एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./104/15 (124)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2015

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. DD/10/N/INF/09/BOD/64/11.— In terms of the provisions of Section 21A(3) read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, Shri Sanjay Malik (Membership No. 086078) Chartered Accountant, B-3/4, Mianwali Gali, Paschim Vihar, New Delhi 110 063 has been found guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 [as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006] by the Board of Discipline of the Institute . Thereafter, in terms of provisions of Section 21A(3) read with sub-rule (1) of Rule 15 of the aforesaid Rules, the Board of Discipline, afforded an opportunity of hearing in person to the said Shri Sanjay Malik. Accordingly, the Board of Discipline has in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 21A of the aforesaid Act ordered that the name of aforesaid Shri Sanjay Malik, be removed from the Register of Members for a period of one (1) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said Shri Sanjay Malik (Membership No. 086078) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) month with effect from 07.07.2015.

V. SAGAR, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./104/15(124)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2015

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं.डीडी/10ए/एन/आईएनएफ/09/बीओडी/64ए/11.— चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, श्री बिपिन चन्द्र पाल कक्कड (सदस्यता सं. 088617), चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 72ए, पहला तल, संत नगर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 को संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 [चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा-संशोधित] की पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत आने वाले 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया गया है। तत्पश्चात्, पूर्वोक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (1) के साथ पठित धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन बोर्ड ने उक्त श्री बिपिन चन्द्र पाल कक्कड को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया था। तदनुसार, अनुशासन बोर्ड ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 21क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश किया कि पूर्वोक्त श्री बिपिन चन्द्र पाल कक्कड का नाम एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री बिपिन चन्द्र पाल कक्कड (सदस्यता सं. 088617) का नाम तारीख 07.07.2015 से एक (1) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./104/15 (124)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2015

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. DD/10A/N/INF/09/BOD/64A/11.—In terms of the provisions of Section 21A(3) read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, **Shri Bipin Chandar Paul Kakkar (Membership No. 088617) Chartered Accountant, 72 A, First Floor, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi - 110 065** has been found guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 [as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006] by the Board of Discipline of the Institute. Thereafter, in terms of provisions of Section 21A(3) read with sub-rule (1) of Rule 15 of the aforesaid Rules, the Board of Discipline, afforded an opportunity of hearing in person to the said Shri Bipin Chandar Paul Kakkar. Accordingly, the Board of Discipline has in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 21A of the aforesaid Act ordered that the name of aforesaid Shri Bipin Chandar Paul Kakkar, be removed from the Register of Members for a period of one (1) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **Shri Bipin Chandar Paul Kakkar (Membership No. 088617) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) month with effect from 07.07. 2015.**

V. SAGAR, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./104/15(124)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2015

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं.डीडी/157/10/बीओडी/98/13.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि **श्री अतुल कक्कड (सदस्यता सं. 087008), चार्टर्ड एकाउंटेंट, 19, चर्च रोड, सिविल लाइंस, आगरा-282002** को संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 [चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा-संशोधित] की पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत आने वाले 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया गया है । तत्पश्चात्, पूर्वोक्त नियमों के नियम 15 के उपनियम (1) के साथ पठित धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन बोर्ड ने श्री अतुल कक्कड को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया था । तथापि, श्री अतुल कक्कड न तो व्यक्तिगत रूप से अनुशासन बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुए और न ही कोई लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । तदनुसार, अनुशासन बोर्ड ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 21क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश किया कि पूर्वोक्त श्री अतुल कक्कड का नाम एक (1) सप्ताह की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए । इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **श्री अतुल कक्कड (सदस्यता सं. 087008) का नाम तारीख 07.07.2015 से एक (1) सप्ताह की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।**

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./104/15 (124)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2015

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. DD/157/10/BOD/98/13.—In terms of the provisions of Section 21A(3) read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, **Shri Atul Kakkar (Membership No. 087008) Chartered Accountant, 19, Church Road, Civil Lines, Agra – 282 002** has been found guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 [as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006] by the Board of Discipline of the Institute . Thereafter, in terms of provisions of Section 21A(3) read with sub-rule (1) of Rule 15 of the aforesaid Rules, the Board of Discipline, afforded an opportunity of hearing in person to the said Shri Atul Kakkar. However, Shri Atul Kakkar neither appeared personally before the Board of Discipline nor submitted his written representation. Accordingly, the Board of Discipline has in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 21A of the aforesaid Act ordered that the name of aforesaid Shri Atul Kakkar, be removed from the Register of Members for a period of one (1) week. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **Shri Atul Kakkar (Membership No. 087008) shall stand removed from the Register of Members for a period of one (1) week with effect from 07.07.2015.**

V. SAGAR, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./104/15(124)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.